राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 403 /2015/जोधपुर/
2. अपील संख्या – 404 /2015/जोधपुर/

भंवरसिंह पुत्र श्री मेघसिंह जाति राजपूत
निवासी सारूडा तहसील नोखा जिला बीकानेर. ....अपीलार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मदन गुर्जर, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/07/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण संख्या क्रमशः पं.29(बी)(03)अपील/पी.एस./वाहन/आब/2015/89 व 90 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 24.02.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9ए(4) के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि थानाधिकारी, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 25.08.2014 को वाहन संख्या आर.जे.07/यूए–4237 (बोलेरी डी.आई.) एवं आर.जे.21/जीए–टेम्प–0247019 (महेन्द्रा पिकअप) को चैक किये जाने पर उक्त वाहनों में क्रमशः 35 कार्टन व 55 कार्टन अंग्रेजी शराब पायी गयी, जिस पर 'फोर सेल इन हरियाणा ओनली' अंकित पाया गया। थानाधिकारी ने आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 एवं 54(ए) के तहत अभियोग संख्या 157/25.08.2014 दर्ज किये जाकर उक्त वाहनों को मय शराब के जब्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी उदयपुर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दोनों वाहनों को अधिहरण से मुक्ति के विकल्प के रूप में विकल्प राशि क्रमशः रूपये 3,40,000/– व रूपये 4,50,000/– अदा करने का विकल्प दिये जाने

-३६२ लगातार.................2

सम्बन्धी पृथक—पृथक आदेश दिनांक 20.01.2015 को पारित किये गये। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 24.02.2015 से इस आधार पर खारिज की गयी कि अपीलार्थी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(4) के तहत कुल मांग राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा अपीलों के साथ कुल मांग (विकल्प) राशि की 75 प्रतिशत राशि क्रमशः रूपये 2,55,000/— रूपये एवं 3,37,500/— जमा कराये जाने सम्बन्धी चालान की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेशों को अविधिक बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा नया वाहन (महेन्द्रा पिकअप) क्रय किये जाने के कारण अपनी पारिवारिक आस्था के अनुसार जोधपुर से रामदेवरा जा रहे थे तथा रास्ते में अपने रिश्तेदार लालसिंह के घर पर रूक गये। इसी दौरान थानाधिकारी लोहावट द्वारा वाहनों को चैक किये जाने पर वाहन में शराब के कार्टन रखे पाये गये, जबकि उक्त शराब का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। शराब के कार्टन वाहन में किस प्रकार से पाये गये, इस सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अपीलार्थी वाहन चालन के जरिये अपनी आजीविका चलाता है। थानाधिकारी ने मिथ्या अभियोग दर्ज कर प्रार्थी के वाहन जब्त कर लिये गये तथा अतिरिक्त आयुक्त द्वारा भी वाहनों को छोड़ने के एवज में अधिकतम शास्ति का आरोपण कर दिया गया। आबकारी आयुक्त के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा भी प्रार्थी की अपीलें इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी कि विकल्प राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विकल्प राशि की 75 प्रतिशत राशि क्रमशः रूपये 2,55,000/— रूपये एवं 3,37,500/— जरिये चालान दिनांक 03.03.2015 जमा करवाई जा चुकी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **1993 ए. सी.जे. 235 ए.ए.हाजा मुनिउद्दीन बनाम इण्डियन रेलवेज** प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि आलौच्य अवधि की धारा 9ए(1) के प्रावधानों के तहत अपील/निगरानी प्रार्थना—पत्र के साथ कुल मांग राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना बाध्यकारी है। अपीलार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपीलों के साथ उक्त राशि जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के **अपील संख्या 2060/2014/जैसलमेर शैतान सिंह पुत्र श्री सवाईसिंह राजपूत बनाम आबकारी आयुक्त, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2015** का हवाला देते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त आबकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 20.01.2015 के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपीलें दिनांक 19.02.2015 को प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलों के साथ आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(1) के तहत 75 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने का सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि अपीलार्थी द्वारा अधिहरित दोनों वाहनो को छुड़ाने की एवज में चाही गई विकल्प राशि की 75 प्रतिशत राशि राजकोष में जरिये चालान दिनांक 03.03.2015 को जमा करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड में प्रस्तुत अपीलों के साथ चालान दिनांक 03.03.2015 की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

8. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित माननीय राजस्थान कर बोर्ड की **अपील संख्या 2060/2014/जैसलमेर में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2015** में आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(1) के तहत बाध्यकारी रूप से जमा करवाई जाने वाली राशि के अभाव में आबकारी आयुक्त द्वारा खारिज की गई अपील सम्बन्धी आदेश की पुष्टि की गई है। इस पीठ के विनम्र मत में माननीय खण्डपीठ का उक्त निर्णय न्यायहित में सहमति प्रदान किये जाने योग्य

प्रतीत नहीं होता है। किसी भी आदेश से व्यथित पक्ष को, जबकि उसके द्वारा बाध्यकारी न्यायिक प्रावधानों की पालना कर दी गयी हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विकल्प राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने का सबूत प्रस्तुत किया जा चुका है।

9. इस सम्बन्ध में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 5 वी.एस.टी. 559 (P&H) ओम ऑयल एण्ड कॉटन मिल्स व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य** में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

> "Sales Tax - Appeal - Appeal to Sales Tax Tribunal - Direction by First Appellate Authority to deposit certain sums as precondition for entertaining appeals - Appeal to Tribunal against direction - Meanwhile appeals dismissed for failure to comply with direction - Tribunal directing compliance with condition of deposit - Thereafter disposing of appeals on merits - Rectification at instance of Revenue holding disposal on merits not permissible and remand of matter to first Appellate Authority for disposal on merits - Writ Petition - Tribunal to rehear appeals on all issues afresh and dispose of them in accordance with law"
>
> "After hearing counsel for the parties, we feel that the ends of justice in the present case would be met in case the appeals filed by the petitioners are re-heard by the Tribunal afresh without being influenced by order dated September 1, 2003 (against which State is aggrieved of) and also the order dated April 20, 2005 (impugned in the present petition). Ordered accordingly. The appeals of the petitioners now shall be heard and decided by the Tribunal on merits on all the issues raised therein. We may also clarify that we have not expressed any opinion on the merits of the case expressly or impliedly. All the questions of law are left open to be decided by the Tribunal in accordance with law."

10. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त **1993 ए.सी.जे. 235 ए.ए.हाजा मुनिउद्दीन बनाम इण्डियन रेलवेज** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि निर्धारित शुल्क अदा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रार्थी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

लगातार.....5

11. माननीय उच्च न्यायालयों की उपरोक्त व्यवस्था के आलोक में यह उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरणों का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे।

12. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरणों के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण आबकारी आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं वे कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित करें।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

10.7.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(बी. के. मीणा)
अध्यक्ष